न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क—382 / 11</u> संस्थित दिनांक—26.08.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र पिपरई	
जिला अशोकनगर।	

अभियोजन

विरुद्ध

- 1. नम्मो पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी उम्र 27 साल
- 2. अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी पुत्र गुलाब खां उम्र 60 साल ?
- 3. डुग्गा उर्फ शायर पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 31 साल ?
- 4. अज्जों पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 24 साल निवासीगण नटयाना चक ग्राम जमाखेडी थाना पिपरई

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 25.01.2018 को घोषित)

01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 324/34, 323/34, 506 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.07.2011 को 18:00 बजे ग्राम जमाखेडी में करामुददीन की दुकान के सामने फरियादी आबिद हुसैन को मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय का गठन कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी आबिद को धारदार चाकू एवं थप्पडों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उसे जाने से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2011 को शाम 06 बजे शरीफ के ज्ञानी उर्फ अब्दुल रहमान व भतीजे नम्मों खां डुग्गा खां अज्जों ने आबिद को मादर चोद बहन चोद की बुरी—बुरी गालिया दी। आबिद ने गालिया देने से मना किया, तो ज्ञानी ने चाकू धार की तरफ से मारा, जो बाये हाथ के दड़ा में लगा कट कर खून निकल आया नम्मो, डुग्गा और अज्जों ने लातघूंसों से मारपीट की, जिससे जगह—जगह मुंदी चोटें आई। मौके पर अमीन और तजुल थे, जिन्होने घटना देखी व बीच बचाव किया। चारों कहते हुये गये कि आज तो बच गया आईंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक 214/11 अंतर्गत धारा—324, 294,

506, 323 / 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.01.2018 को फरियादी आबिद हुसैन द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा0द0वि० की धाराँ 294, 323/34, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 04-अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.07.11 को 18:00 बजे ग्राम जमाखेडी में करामुददीन की दुकान के सामने फरियादी आबिद हुसैन को उपहति कारित करने का सामान्य आशय का गठन कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी आबिद को धारदार हथियार चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अमीन (अ०सा०-01) तजुल (अ०सा०-02) व चिनवा (अ0सा0-03) फरियादी आबिद हुसैन (अ0सा0-04) सहित मुन्नी बाई (अ0सा0-05) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी आबिंद हुसैन

(अ0सा0—04) अपने कथनों में कहना है कि आरोपीगण से उनका पूर्व से विवाद है। आरोपीगण ने उसके पिता को जेल में बंद करवाया था और इसी बात से घाटना दिनांक को शाम 06:00 बजे जब वह खेत पर दवा छिडकने जा रहा था, तो आरोपीगण ने उसे गालिया दी थी, जो उसने घर पर आकर अपने पिता को बताई थी, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता ने उसके साथ थाने पर जाकर की थी।

- 07— आबिद हुसैन (अ0सा0—04) अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में घटना में आरोपीगण के द्वारा मात्र गालियां दिया जाना बताता है तथा इस साक्षी का कहीं भी यह कहना नही है कि घटना में आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी, जबिक वह स्वयं अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत होकर फरियादी है। आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नही दिये। फरियादी आबिद हुसैन (अ0सा0—04) ने अपने कथनों में मारपीट की घटना से इन्कार किया है तथा इस बात से इन्कार किया है कि घटना में उसे ज्ञानी ने चाकू मारा था। यह साक्षी केवल घटना में मुंहवाद होने की घटना बताता है।
- 08— घटना के अन्य साक्षी अमीन (अ०सा०—01) व तजूल (अ०सा०—2) ने भी अभियोजन घटना का समर्थन न करते हुये घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। फरियादी के पिता चिनवा (अ०सा०—3) व मां मुन्नी बाई (अ०सा०—5) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है। जिनमें से मुन्नी बाई (अ०सा०—5) ने अपने कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। चिनवा (अ०सा०—3) अपने कथनों में यह कहता है कि आरोपीगण से उसकी लडाई चल रही थी तथा आरोपीगण ने उसके लडके को मारा था, परन्तु यह साक्षी स्वयं स्वीकार करता है कि घटना की सूचना उसे फोन प्राप्त हुई थी अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी के सामने मारपीट की कोई घटना नही हुई तथा यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी होने के कारण पुत्र के साथ हुई मारपीट के सबंध में दिये गये कथन अनुश्रुत साक्ष्य होने से साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।
- 09— फरियादी आबिद हुसैन जहां स्वयं घटना में आहत होते हुये भी अपने साथ हुई मारपीट की घटना से इन्कार करता है तथा पुलिस को कोई रिपोर्ट एवं कथन न देना बताता है, वहीं घटना अन्य साक्षी अमीन (अ०सा0—01) तजूल

(अ०सा0-02) व मुन्नी बाई (अ०सा0-5) घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करते है तथा चिनवा (अ०सा0-3) अनुश्रुत साक्षी है। परिणामस्वरूप कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है कि अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने धारदार हथियार चाकू से फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

- 10— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक—31.07.2011 को शाम 06:00 बजे ग्राम जमाखेडी में अभियुक्तगण ने फरियादी का उपहति कारित करने का सामान्य निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी ने फरियादी को चाकू से स्वेच्छया उपहति कारित की।
 - 11—फलतः अभियुक्तगण नम्मो पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी, अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी पुत्र गुलाब खां, डुग्गा उर्फ शायर पुत्र अब्दुल रहमान, अज्जों पुत्र अब्दुल रहमान के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण नम्मो पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी, अब्दुल रहमान उर्फ ज्ञानी पुत्र गुलाब खां, डुग्गा उर्फ शायर पुत्र अब्दुल रहमान, अज्जों पुत्र अब्दुल रहमान भा०द०वि० की धारा 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12—अभियुक्तगण धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)